एडिटोरियल

(संग्रह)

जून भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- एक राष्ट्र एक चुनाव 5
- न्याय वितरण प्रणाली में तकनीक का उपयोग 6
- राजद्रोह कानून 8
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण का पुनर्गठन 11

आर्थिक घटनाक्रम **11**

- जनगणना 2021 12
- ब्लू इकोनॉमी का महत्त्व 14

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **16**

- G-7 और भारत 16

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **18**

➢ भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य 18

➢ जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन 19

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण **22**

➢ अंडमान एवं निकोबार दीप समूह का सतत् विकास 22

➢ विकास का ब्लू-ग्रीन आर्थिक ढाँचा 24

➢ आपदाओं की बारंबारता: कारण एवं समाधान 27

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **27**

➢ भारत में बाल श्रम 29

सामाजिक न्याय **29**

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

एक राष्ट्र एक चुनाव

हाल ही में कोविड 19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप भारत में देखा गया है। इसमें मार्च-अप्रैल 2021 के दौरान चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए चुनावों का भी संभावित योगदान माना जा रहा है, इसलिये "एक राष्ट्र, एक चुनाव" (One Nation, One Election) जैसी महत्त्वपूर्ण अवधारणा पर तर्कपूर्ण चर्चा करना आवश्यक हो गया है।

इस अवधारणा के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है, इन पाँच मुद्दों में शामिल हैं: चुनाव कराने की वित्तीय लागत; बार-बार प्रशासनिक स्थिरता की लागत; सुरक्षा बलों की बार-बार तैनाती में आने वाली दृश्य और अदृश्य लागत; राजनीतिक दलों के अभियान और वित्त लागत; तथा क्षेत्रीय/छोटे दलों को समान अवसर प्राप्त होने का प्रश्न।

एक साथ चुनावः पृष्ठभूमि

- यह विचार वर्ष 1983 से अस्तित्व में है, जब चुनाव आयोग ने पहली बार इसे प्रस्तावित किया था। हालाँकि वर्ष 1967 तक एक साथ चुनाव भारत में प्रतिमान थे।
- लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में एक साथ हुए थे।
- इसके बाद वर्ष 1957, वर्ष 1962 और वर्ष 1967 में हुए तीन आम चुनावों में भी यह प्रथा जारी रही।
- लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधान सभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह चक्र बाधित हो गया।
- वर्ष 1970 में लोकसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और वर्ष 1971 में पुनः नए चुनाव हुए थे। इस प्रकार पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा ने पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण किये थे।
- लोकसभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं दोनों के समय से पहले विघटन और कार्यकाल के विस्तार के परिणामस्वरूप लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के अलग-अलग चुनाव हुए हैं और एक साथ चुनाव का चक्र बाधित हो गया।

एक साथ चुनाव के पक्ष में तर्क

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक चुनाव होता है; दरअसल प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष चुनाव भी होते हैं। उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने तर्क दिया कि इन चुनावों के चलते विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान होते हैं।

- चुनाव की अगणनीय आर्थिक लागतः बिहार जैसे बड़े आकार के राज्य के लिये चुनाव से संबंधित सीधे बजट की लागत लगभग 300 करोड़ रुपए है। हालाँकि इसके अलावा अन्य वित्तीय लागतें एवं अगणनीय आर्थिक लागतें भी हैं।
  - प्रत्येक चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र चुनाव ड्यूटी और संबंधित कार्यों के कारण अपने नियमित कर्तव्यों से चूक जाता है।
  - चुनावी बजट में चुनाव के दौरान उपयोग किये जाने वाले इन लाखों मानव-घंटे की लागत की गणना नहीं की जाती है।
- नीति पक्षाघातः आदर्श आचार संहिता (MCC) सरकार की कार्यकारिणी को भी प्रभावित करती है, क्योंकि चुनावों की घोषणा के बाद न तो किसी नई महत्त्वपूर्ण नीति की घोषणा की जा सकती है और न ही क्रियान्वयन।
- प्रशासनिक लागतेंः सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा बार-बार उनके परिवहन पर भी भारी और दृश्यमान लागत आती है।
  - संवेदनशील क्षेत्रों से इन बलों को हटाने और देश भर में जगह बार-बार तैनाती के कारण होने वाली थकान तथा बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्र द्वारा एक बड़ी अदृश्य लागत का भुगतान किया जाता है।

एक साथ चुनाव के विरुद्ध तर्क

- संघीय समस्याः एक साथ चुनावों को लागू करना लगभग असंभव है क्योंकि इसके लिये मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी या उनकी चुनाव तिथियों को देश के बाकी भागों हेतु नियत तारीख के अनुरूप लाने के लिये उनके कार्यकाल में वृद्धि करनी पड़ेगी।
  - ऐसा कदम लोकतंत्र और संघवाद को कमज़ोर करेगा।

नोट :

- लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध: आलोचकों का यह भी कहना है कि एक साथ चुनाव कराने के लिये मजबूर करना लोकतंत्र के विरुद्ध है क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को थोपने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना उचित नहीं है।
- क्षेत्रीय दलों को नुकसान: ऐसा माना जाता है कि एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दलों को नुकसान पहुँचेगा क्योंकि एक साथ होने वाले चुनावों में मतदाताओं द्वारा मुख्य रूप से एक ही तरफ वोट देने की संभावना अधिक होती है जिससे केंद्र में प्रमुख पार्टी को लाभ होता है।
- जवाबदेही में कमी: प्रत्येक 5 वर्ष में एक से अधिक बार मतदाताओं के समक्ष आने से राजनेताओं की जवाबदेहिता बढ़ती है।

निष्कर्ष

- यह स्पष्ट है कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिये संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। लेकिन यह कार्य इस प्रकार किया जाना चाहिये कि लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट न पहुँचे।
- इस संदर्भ में विधि आयोग ने एक विकल्प का सुझाव दिया है जिसके अनुसार अगले आम चुनाव से निकटता के आधार पर राज्यों को वर्गीकृत किया चाहिये और अगले लोकसभा चुनाव के साथ राज्य विधानसभा चुनाव का एक दौर तथा शेष राज्यों के लिये दूसरा दौर 30 महीने बाद होना चाहिये। लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं देता है कि इन सबके बावजूद भी मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी।

न्याय वितरण प्रणाली में तकनीक का उपयोग

संदर्भ

भारतीय न्यायालयों में न्याय की प्रक्रिया सामान्यत: काफी लंबी, देरी और कठिनाइयों से भरी होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2020 में जारी ऑंकड़ों के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में 3.27 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से 85,000 मामले 30 से अधिक वर्षों से लंबित हैं।

अत: लंबित मामलों और अन्य समस्याओं के समाधान के लिये ई-कोर्ट के रूप में तकनीक का उपयोग किया जा रहा हैं।हालाँकि प्रौद्योगिकी का क्रांतिकारी उपयोग न्यायालयों में केवल तभी किया जा सकता है जब यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संवैधानिक ढाँचे के भीतर काम करती है। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो इससे जुड़ी प्रौद्योगिकी आगे लोगों में बहिष्करण, असमानता और उनकी निगरानी जैसी समस्याओं को पैदा कर सकती है।

ई-कोर्ट परियोजना का प्रस्तावित चरण III: पृष्ठभूमि

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ने हाल ही में ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के लिये अपना मसौदा विज़न दस्तावेज़ जारी किया।
- चरण I और II में न्यायपालिका के डिजिटलीकरण यानी ई-फाइलिंग, ऑनलाइन मामलों पर नज़र रखने, निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड करने आदि कार्यों का क्रियान्वयन किया गया था। इससे न्याय के वितरण की प्रक्रिया आसान बनाने में मदद मिली है।
- उदाहरण के लिये ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण में राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग का विकास देखा गया, एक ऐसा सॉफ़्टवेयर जिसने सम्मन हेतु ई-सेवा को सक्षम किया।
- कोविड -19 महामारी के कारण कुछ समस्याओं के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऑनलाइन कार्य करने में सक्षम हैं।
- ई-कोर्ट परियोजना का चरण III न्यायिक प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिये अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और निचली न्यायपालिका के इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने और वकीलों और वादियों तक पहुँच को सक्षम करने की योजना है।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तीसरे चरण में न्याय प्रदान करने के लिये "इकोसिस्टम दृष्टिकोण" का प्रस्ताव है।

ई-कोर्ट परियोजना

- ई-कोर्ट परियोजना की परिकल्पना 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005' के आधार पर की गई थी।
- ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट (e-Courts Mission Mode Project), एक पैन-इंडिया प्रोजेक्ट (Pan-India Project) है, जिसकी निगरानी और वित्त पोषण देश भर में ज़िला न्यायालयों के लिये न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

नोट :

परियोजना की परिकल्पना

- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट लिटिगेंट चार्टर (e-Court Project Litigant's Charter) में विस्तृत रूप में कुशल और समयबद्ध नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना।
- न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित, स्थापित एवं कार्यान्वित करना।
- अपने हितधारकों तक सूचना की पारदर्शी पहुँच प्रदान करने के लिये प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- गुणात्मक एवं मात्रात्मक न्यायिक परिणामों में वृद्धि के लिये न्याय प्रणाली को सस्ता, सुलभ, लागत प्रभावी, पूर्वानुमेय, विश्वसनीय तथा पारदर्शी बनाना।

ई- समिति

- ई-समिति एक निकाय है जो तकनीकी संचार एवं प्रबंधन संबंधी परिवर्तनों के लिये सलाह देता है।
- यह भारतीय न्यायपालिका का कम्प्यूटरीकरण कर राष्ट्रीय नीति तैयार करने में सहायता के लिये भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त एक प्रस्ताव के अनुसरण में बनाया गया है।
- ई-समिति की स्थापना वर्ष 2004 में न्यायपालिका में IT के उपयोग तथा प्रशासनिक सुधारों के लिये एक गाइड मैप प्रदान करने के लिये की गई थी।
- ई-समिति के कामकाज से संबंधित सभी व्यय जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों और सहायक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि शामिल हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत बजट से प्रदान किये जाते हैं।

इकोसिस्टम दृष्टिकोण: संभावित लाभ

- सूचनाओं का निर्बाध आदान-प्रदान: इसके माध्यम से राज्य की विभिन्न शाखाओं, जैसे- न्यायपालिका, पुलिस और जेल प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (Interoperable Criminal Justice System-ICJS) के माध्यम से डेटा का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- एकरूपता और मानकीकरण: तीसरे चरण के तहत यह व्यक्तियों की पहचान किये बिना मुद्दों के बारे में समेकित और सांख्यिकीय रूप से सही जानकारी प्रदान करेगा। अत: डेटा एकत्रीकरण उपयोगी हो सकता है ।
    - चरण III में एंट्री क्षेत्रों (Entry Fields) की एकरूपता और मानकीकरण को प्रोत्साहित करके इसे संभव बनाया जा सकता है।
- 360-डिग्री प्रोफाइलिंग: तीसरे चरण में सरकारी एजेंसियों के साथ उनके सभी बातचीत (Interactions) को एक डेटाबेस में एकीकृत करके प्रत्येक व्यक्ति की 360-डिग्री प्रोफाइल बनाने की परिकल्पना की गई है।
    - एक बार जब कोई सरकारी विभाग ऑनलाइन हो जाता है, तो उनके 'पेन-एंड-पेपर रजिस्टर' एक्सेल शीट बन जाएँगे, जिन्हें एक क्लिक के साथ साझा किया जा सकता है।
    - स्थानीयकृत डेटा केंद्रीकृत हो जाएगा जिससे समस्या के समाधान में बड़ी प्रगति हो सकती है।

इकोसिस्टम दृष्टिकोण से संबद्ध चुनौतियाँ

- असमानताओं को बढ़ावा देना: आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना जैसे संगठनों द्वारा यह बताया गया है कि ICJS संभावित रूप से वर्ग और जाति की असमानताओं को बढ़ा देगा जो पुलिस और जेल प्रणाली की विशेषता है।
    - उदाहरण के लिये आपराधिक डेटा निर्माण की ज़रूरत स्थानीय पुलिस स्टेशनों में होती है।
    - स्थानीय स्टेशनों ने ऐतिहासिक रूप से औपनिवेशिक युग के कानूनों के माध्यम से पूरे समुदायों के अपराधीकरण में योगदान दिया है जैसे - 1871 का आपराधिक जनजाति अधिनियम ऐसे समुदायों को "आदतन अपराधी" बताकर पूरे समुदाय का अपराधीकरण कर दिया।
- गृह मंत्रालय के पास डेटा का भंडारण: यह विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि ई-कोर्ट परियोजना के माध्यम से जिन डेटा को एकत्रित किया जाएगा, साझा किया जाएगा एवं समाकलित किया जाएगा उसे ICJS के तहत गृह मंत्रालय के संरक्षण में रखा जाएगा। अदालतें विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलझाती हैं, जिनमें से कुछ विशुद्ध रूप से दीवानी, वाणिज्यिक या व्यक्तिगत प्रकृति के हो सकते हैं।
    - इस बात का कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि गृह मंत्रालय को ऐसे अदालती डेटा तक पहुँच की आवश्यकता क्यों है जिसका आपराधिक कानून से कोई संबंध नहीं हो सकता है।

नोट :

- डेटा गोपनीयता का मुद्दा: डेटा एकत्रीकरण गोपनीयता मानकों का उल्लंघन नहीं कर सकता है जो कि पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले(वर्ष 2017) में निर्धारित है, खासकर जब तक भारत में डेटा सुरक्षा व्यवस्था नहीं है।
- लक्षित निगरानी का डर: लक्षित विज्ञापनों के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किसी व्यक्ति की 360-डिग्री प्रोफाइलिंग किया जाता है।
  - हालाँकि अंतर यह है कि जब प्रौद्योगिकी कंपनियाँ ऐसा करती हैं तो हमें लक्षित विज्ञापन मिलते हैं, लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो हम लक्षित निगरानी के शिकार होते हैं।

निष्कर्ष

चूँकि तीसरे चरण का विज़न दस्तावेज़ अभी तक केवल एक मसौदा है, अत: न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लंबित मामलों को कम करने और शीघ्र न्याय पाने में वादियों की सहायता करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का उचित अवसर है। हालाँकि यह हमारे मौलिक अधिकारों की सीमा के भीतर किया जाना चाहिये।

राजद्रोह कानून

संदर्भ

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक वरिष्ठ पत्रकार के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों को खारिज़ कर दिया। नागरिक समाज ने राजद्रोह के मामलों की बढ़ती संख्या के विरोध में इस फैसले का उत्साहजनक रूप से स्वागत किया।

- राजद्रोह के मामलों की बढ़ती संख्या सरकार की असहमति और आलोचना के प्रति दमनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है।
- इसके अलावा, फ्रीडम हाउस (फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021: डेमोक्रेसी अंडर सीज) की एक रिपोर्ट ने भारत की स्थिति को एक स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश कर दिया। पतन के कारणों में से एक असंतुष्टि के खिलाफ राजद्रोह के मामलों में वृद्धि है।
- चूंकि राजद्रोह कानून का इस्तेमाल अक्सर लोकतंत्र का गला घोंटने के लिये किया जाता है, अत: इसे क़ानून से हटा दिया जाना चाहिये।

राजद्रोह कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 17वीं शताब्दी के इंग्लैंड में राजद्रोह कानून बनाए गए थे, जब सांसदों का मानना था कि सरकार के बारे में अच्छी राय ही बनी रहनी चाहिये क्योंकि बुरी राय सरकार और राजशाही के लिये हानिकारक थी।
- इस तर्क एवं कानून को अंग्रेजों ने वर्ष 1870 में आईपीसी की धारा 124 A में शामिल किया गया था।
- अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को दोषी ठहराने और सजा देने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल पहली बार 1897 में बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाने के लिये किया गया था।
- महात्मा गांधी पर भी बाद में यंग इंडिया में उनके लेखों के लिये राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था।

राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता:

- उचित प्रतिबंध: भारत का संविधान उचित प्रतिबंध (अनुच्छेद 19(2) के तहत) निर्धारित करता है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति ज़िम्मेदार अभ्यास को सुनिश्चित करता है साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि यह सभी नागरिकों के लिये समान रूप से उपलब्ध है।
- एकता और अखंडता बनाए रखना: राजद्रोह कानून सरकार को राष्ट्र-विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्त्वों का मुकाबला करने में मदद करता है।

नोट

भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत उचित प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है अर्थात भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि के संबंध में या किसी अपराध के लिये उकसाना।

- राज्य की स्थिरता बनाए रखना: यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाने में मदद करता है। कानून द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।

राजद्रोह से जुड़े चर्चित मुद्दे

महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक- 1897

- शायद इतिहास में राजद्रोह के सबसे प्रसिद्ध मामले औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के ही रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक बाल गंगाधर तिलक पर दो बार राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। सर्वप्रथम वर्ष 1897 में जब उनके एक भाषण ने कथित तौर पर अन्य लोगों को हिंसक व्यवहार के लिये उकसाया और जिसके परिणामस्वरूप दो ब्रिटिश अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद वर्ष 1909 में जब उन्होंने अपने अखबार केसरी में एक सरकार विरोधी लेख लिखा।

केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य- 1962

- यह मामला स्वतंत्र भारत की किसी अदालत में राजद्रोह का पहला मुकदमा था। इस मामले में पहली बार देश में राजद्रोह के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने देश और देश की सरकार के मध्य के अंतर को भी स्पष्ट किया। बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य केदार नाथ सिंह पर तत्कालीन सत्ताधारी सरकार की निंदा करने और क्रांति का आह्वान करने हेतु भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में अदालत ने स्पष्ट कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाएगा।

असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य- 2012

- विवादास्पद राजनीतिक कार्टूनिस्ट और कार्यकर्त्ता, असीम त्रिवेदी जो अपने भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान (कार्टून्स अगेंस्ट करप्शन) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, को वर्ष 2010 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उनके कई सहयोगियों का मानना था कि असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह का आरोप भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के कारण ही लगाया गया है।

राजद्रोह कानून के आलोचनात्मक बिंदु:

- औपनिवेशिक युग के अवशेष: औपनिवेशिक प्रशासकों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले लोगों को रोकने के लिये राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया।
  - लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह आदि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गजों को ब्रिटिश शासन के तहत उनके "राजद्रोही" भाषणों, लेखन और गतिविधियों के लिये दोषी ठहराया गया था।
  - इस प्रकार राजद्रोह कानून का इतना व्यापक उपयोग औपनिवेशिक युग को याद करता है।
- संविधान सभा का स्टैंड: संविधान सभा संविधान में राजद्रोह को शामिल करने के लिये सहमत नहीं थी। सदस्यों का तर्क था कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करेगा।
  - उन्होंने तर्क दिया कि लोगों के विरोध के वैध और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार को दबाने के लिये राजद्रोह कानून को एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना: केदार नाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल "अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, या कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी, या हिंसा के लिये उकसाने वाले कृत्यों" के लिये राजद्रोह का सीमित उपयोग किया जाना चाहिये।
  - इस प्रकार, शिक्षाविदों, वकीलों, सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं और छात्रों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।
- प्रजातांत्रिक मूल्यों का दमन: मुख्य रूप से राजद्रोह कानून के कठोर और गणनात्मक उपयोग के कारण विश्व पटल पर भारत को एक निर्वाचित निरंकुशता के रूप में वर्णित किया जा रहा है।

वर्तमान में राजद्रोह कानून की स्थिति: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के तहत राजद्रोह एक अपराध है।

धारा 124A IPC:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार, राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। इस कानून में राजद्रोह के अंतर्गत भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक, लिखित (शब्दों द्वारा), संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने के प्रयत्न को शामिल किया जाता है।

- विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।

राजद्रोह के लिये दंड:

- राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है और इसके साथ ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।
- इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है।
- आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होगा, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे अदालत में पेश होना ज़रूरी है।

आगे की राह

- राजद्रोह कानून को समाप्त करना: भारत के लिये बाहरी और आंतरिक खतरों से निपटने के लिये हमारे देश में पर्याप्त कानून हैं और राजद्रोह कानून को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  - अत: राजद्रोह कानून को इस आधार पर समाप्त करने की आवश्यकता है कि इसका उपयोग भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये किया जाता है।
- न्यायपालिका की भूमिका: जब तक संसद द्वारा राजद्रोह कानून को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट और पुलिस को स्वतंत्र भाषण की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये करना चाहिये।
  - इसके अलावा राजद्रोह कानून के अति प्रयोग से बचने के लिये, उच्च न्यायपालिका राजद्रोह की परिभाषा को सीमित कर सकती है। इसमें केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता एवं देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।
- नागरिक समाज में जागरूकता बढ़ाना: नागरिक समाज को राजद्रोह कानून के मनमाने उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा उठाना चाहिये।

निष्कर्ष

अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने एक पत्रकार पर लगे राजद्रोह के आरोपों को खारिज कर दिया है तो भारतीय नागरिकों को संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग करनी चाहिये।

आर्थिक घटनाक्रम

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के ऋण का पुनर्गठन

संदर्भ

कोविड -19 ने हमें अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी कई पुरानी नीतियों की फिर से जाँच करने के लिये मजबूर किया है। साथ ही, स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढाँचे के महत्त्व पर तेज़ी से प्रकाश डाला है। इन्हीं में से एक क्षेत्र प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (Priority Sector Lending- PSL) अर्थात् 'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार'।

- PSL की अवधारणा बैंकों को अर्थव्यवस्था में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों और गतिविधियों हेतु उधार प्रदान से संबंधित है।
- भारत में बैंक अपने समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (Adjusted Net Bank Credit- ANBC) का लगभग 40% यानि 39,50,205 की राशि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण स्वरूप देते हैं। वर्तमान में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
- अत: एक अवधारणा एवं अभ्यास के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को पुन: 'प्राथमिकता' दी जा सकती है।

भारत में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार: इतिहास और पृष्ठभूमि

- अंतर्निहित दर्शन: भारतीय संविधान ने स्वाभाविक रूप से 'राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों' के माध्यम से समावेशी विकास, विकास के लक्ष्य एवं दिशानिर्देश प्रदान किये हैं।
  - इसके अलावा भारत में शासन का 'समाजवादी सिद्धांतों' और 'समाजवाद' की ओर झुकाव स्वतंत्रता के बाद के युग में काफी स्पष्ट था।
  - यह प्राथमिक क्षेत्र को उधार देने की आवश्यकता के अंतर्निहित दर्शन को स्पष्ट करता है।
- तात्कालिक कारण: उस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि को धन की आवश्यकता थी, लेकिन यह वाणिज्यिक बैंकों के लिये इच्छित मार्ग नहीं था। वो इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करना नहीं चाहते थे।
- उत्पत्ति: जुलाई 1966 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति ने सिफारिश की कि वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण ऋण के विस्तार में एक पूरक भूमिका निभानी चाहिये। इसे ही भारत में PSL की उत्पत्ति के रूप में देखा जा सकता है।
  - हालाँकि PSL की परिभाषा को वर्ष 1972 में नेशनल क्रेडिट काउंसिल में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank Of India- RBI) की रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक रूप दिया गया था।
- उद्देश्य: PSL वाणिज्यिक बैंकों को मुनाफे के साथ-साथ उच्च सामाजिक रिटर्न उत्पन्न करने की भी अनुमति देता है और यह रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर आर्थिक विकास में भी योगदान देता है।
- नियामकीय नियंत्रण: भारतीय रिज़र्व बैंक, जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र का पर्यवेक्षी निकाय है, जिसे देश का शीर्ष बैंक भी कहा जाता है, समय-समय पर भारत में बैंकों को PSL के संबंध में निर्देश/दिशा-निर्देश जारी करता है।
- संघटक: वर्तमान में, पीएसएल में आठ क्षेत्र शामिल हैं। जिसमे से कृषि कुल समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 18% प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरी महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय' है।
  - इसके अलावा पाँच क्षेत्रों को PSL के रूप में वर्गीकृत किया गया है - आवास, निर्यात ऋण, शिक्षा, सामाजिक बुनियादी ढाँचा एवं नवीकरणीय ऊर्जा। इसके अतिरिक्त सी 'कमज़ोर क्षेत्र' एवं 'अन्य' नमक दो केटेगरी है

इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दे

- एनपीए का बढ़ता बोझ: बदलाव के बावजूद आज तक कृषि और लघु उद्योगों (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों या एमएसएमई के रूप में परिभाषित) क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

- PSL में शामिल क्षेत्रों को ऋण देने वाले बैंकों के पास उनके ऋण पोर्टफोलियो में दो अंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) हैं। इस कारण यह क्षेत्र उनके लिये आर्थिक रूप से कम व्यवहारिक हो गया है।
- इसके अलावा बैंकों को एनपीए के कारण प्रावधान पूंजी के लिये अलग से प्रावधान करना पड़ता है। इससे बैंकों की लाभप्रदता कम होती है।

- नैतिक जोखिम की समस्या: एनपीए की उच्च संभावना वाले इस उधारकर्ता वर्ग को ऋण देने से बैंक प्रबंधकों के लिये भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं अत: ऋण लेने वाले ग्राहकों/ लाभार्थियों के लिये नैतिक दायित्व उत्पन्न हो जाता हैं।
- बैंकों का आर्थिक बोझ: PSL उत्पादक क्षेत्रों से धन को दूसरे अनुत्पादक क्षेत्रों में निवेश करने पर मजबूर करता है। ऋण हानियों और भुगतान चूक के रूप में अलग से पूंजी का प्रावधान करने के कारण बैंकों पर आर्थिक बोझ डालता है।
- कैपिंग मुद्दे: शैक्षिक बुनियादी ढाँचे की बेहद कम क्रेडिट सीमा, ₹5 करोड़, है। इसके अलावा स्वास्थ्य, जो सामाजिक बुनियादी ढाँचे की एक उप-श्रेणी है, में अस्पतालों के निर्माण के लिये सीमा ₹10 करोड़ है।

आगे की राह

- PSL से अनुदान: PSL के कुछ हिस्से को सीधे सरकार द्वारा भुगतान किये गए अनुदान में परिवर्तित करने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मूल्यांकन में वृद्धि हो सकती है एवं दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी।
- सामाजिक विकास के लिये JAM का लाभ उठाना: JAM के पूर्ण उपयोग (जन धन खातों तक पूर्ण पहुँच, सार्वभौमिक आधार संख्या एवं मोबाइल तक पहुँच) से उन मुद्दों का समाधान कर सकती हैं जिन मुद्दों का समाधान PSL वाले क्षेत्र नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिये JAM प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के कामकाज को संस्थागत रूप दे सकता है।
- सामाजिक बुनियादी ढाँचा का बढ़ता कोटा: कोविड-19 ने हमें अतीत की कई चीजों की फिर से जाँच करने पर मजबूर कर दिया है। अत: सामाजिक बुनियादी ढाँचे के गठन को प्राथमिकता देने के लिये PSL का पुनर्गठन किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

'प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रदान करने की योजना (लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों का निर्धारण कर) को कई पहलुओं (जैसे- बैंक के प्रकार, अलग-अलग क्षेत्रों में उनके शाखाओं की उपलब्धता और किसी विशेष क्षेत्र को उधार देने के लिये बैंक की इच्छा) को ध्यान में रखते हुए संयोजित करना चाहिये।

जनगणना 2021

औपनिवेशिक राज की कई विरासत 1947 के बाद भी भारत में रही। भारत की जनगणना उनमें में से एक है। जनगणना शब्द लैटिन शब्द 'censere' से लिया गया है, जिसका अर्थ है- 'आकलन करना'।

आम तौर पर प्रत्येक अर्द्ध-दशकीय (पाँच साल) या दशकीय जनसंख्या जनगणना को राष्ट्रीय संसाधन नियोजन के लिये अपरिहार्य माना जाता है। भारत में हर दशक में जनगणना की जाती है तथा 2021 की जनगणना देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी।

हालाँकि कोविड-19 महामारी के कारण हम 2021 के मध्य में हैं और जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने का कोई संकेत नहीं है। चूंकि जनगणना राजनीतिक फैसलों, आर्थिक निर्णयों एवं विकास लक्ष्यों को के लिये महत्त्वपूर्ण है अत: इसमें देरी करने पर समस्याएँ खड़ी होंगी।

भारत में जनगणना: पृष्ठभूमि और महत्व

वर्ष 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया गया था, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था और इसके अधिकारियों को ब्रिटिश राजशाही के अधीन स्थानांतरित कर दिया गया था। इस समय तक ब्रिटिश राजशाही ने भारत पर लगभग पूर्ण नियंत्रण कर लिया था।

- उद्देश्य: ब्रिटिश सरकार को अपने प्रभुत्व बनाए रखने के लिये यहाँ के बारे में विस्तृत एवं विश्वसनीय जानकारी की आवश्यकता थी।
  - ब्रिटिश सरकार ने भारत में जनगणना कराने की मांग की, क्योंकि वे ब्रिटेन में वर्ष 1801 से जनगणना कर रहे थे।
- उत्पत्ति: रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के नव स्थापित कार्यालय ने वर्ष 1881 में भारत में पहली बार जनगणना पूरी की।

- सकारात्मक प्रतिक्रिया: जबकि जनगणना का उद्देश्य भारतीय संसाधनों और भारतीयों का अधिकतम दोहन करना था, एक बार डेटा उपलब्ध हो जाने के बाद, इसे विभिन्न प्रकार के उपयोगकर्त्ता समूहों के द्वारा उपयोग किया जाने लगा।
    - शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षा की योजना बनाने के लिये डेटा का इस्तेमाल किया।
    - लोक निर्माण विभाग ने इसका उपयोग सड़क नेटवर्क की योजना बनाने के लिये किया।
    - योजनाकारों ने इसका उपयोग बिजली संयंत्रों, ट्रंक लाइनों और रेलवे का पता लगाने के लिये किया।
    - जैसे ही डेटा के उपयोग से बुनियादी ढाँचा बनना शुरू किया, इसने बड़े पैमाने पर जनसंख्या का स्थानांतरण शुरू हुआ और बंबई, कलकत्ता एवं मद्रास जैसे बंदरगाह शहरों के तेज़ी से विकसित हुए।
- महत्व: भारत अपनी 'विविधता में एकता' के लिये पहचाना जाता है और जनगणना नागरिकों को अपने समाज, जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी आदि के माध्यम से इस विविधता और राष्ट्र से जुड़े पहलुओं का अध्ययन करने का मौका देती है।
    - यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिये योजना बनाने और नीतियों के निर्माण के लिये बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विद्वानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और कई अन्य लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

हमें 2021 की जनगणना की चिंता क्यों करनी चाहिये?

- परिसीमन अवधि: वर्ष 2026 में वर्तमान परिसीमन अवधि समाप्त होने पर लोकसभा में राजनीतिक संतुलन बदल सकता है।
    - यदि वर्ष 2021 में जनगणना नहीं होती है तो जनसंख्या प्रबंधन के सबसे खराब रिकॉर्ड वाले राज्यों, मुख्यत: उत्तरी भारत में, की संसद में प्रतिनिधित्व में बड़े पैमाने पर वृद्धि होगी। इसके विपरीत दक्षिण और पश्चिम भारत को नुकसान होगा।
- आय का वितरण: वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वस्तु एवं सेवा कर के बाद कर के वितरण के आधार अधिक विवादास्पद हो गए हैं किंतु जनसंख्या इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाती है।
- ध्रुवीकरण की राजनीति: बहुसंख्यक राजनेता कई बार ये तर्क देते हैं कि वे बहुसंख्यक की जनसंख्या कम हो रही है और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या बढ़ रही है। इसकी ज़मीनी स्थिति का निर्धारण करने के लिये अखिल भारतीय जनगणना आवश्यक है।
    - यह न केवल हमें जनसंख्या के बारे में आंकड़े प्रदान करता है बल्कि जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन दर, सकल और शुद्ध जन्म दर जैसे विभिन्न सांख्यिकीय ऑंकड़े भी उपयोग करता है। इस तरह से भी बचा जा सकता है।
- लक्षित निवेश: कोविड-19 के बाद की अवधि में आर्थिक क्रियाओं को फिर से शुरू करने के लिये बुनियादी ढाँचे में बड़े पैमाने पर निवेश की बात चल रही है।
    - जनगणना योजनाकारों इससे प्राप्त ऑंकड़ों को यह समझने में मदद करेगी कि किस क्षेत्र में कितना निवेश करना चाहिये जिससे किसे कितना लाभ प्राप्त होगा।

आगे की राह

इसलिये जनगणना के महत्त्व को देखते हुए निम्नलिखित उपायों को ध्यान में रखते हुए 2021 की दशकीय जनगणना को समय पर आयोजित किया जाना चाहिये:

- ऑंकड़ों की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाना: यह कवरेज में आने वाली त्रुटि और सर्वेक्षण में प्रश्नों की संख्या को बढ़ाकर एवं उन्हें और अधिक वर्गीकृत कर त्रुटियों को कम किया जा सकता है।
    - यह सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के विमर्श को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- जनगणना प्रणाली को मजबूत करना: प्रगणकों (डेटा संग्रहकर्ता) और आयोजकों के लिये उचित प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिये। साथ ही, प्रगणकों को प्रेरित करने के लिये उन्हें अच्छी तरह से भुगतान किया जाना चाहिये, क्योंकि वे डेटा संग्रह का केंद्र बिंदु हैं और ऑंकड़ों की सटीकता को सुनिश्चित करते हैं।
    - साक्षात्कारकर्त्ताओं को एक सुरक्षित, पारदर्शी, निष्पक्ष वातावरण प्रदान किया जाना चाहिये।
- जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान को सुदृढ़ बनाना: लोगों को अपने जीवन में जनगणना के महत्त्व के बारे में जागरूक करने के लिये बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू करना चाहिये।

- जागरूकता फैलाने और लोगों को शिक्षित करने के लिये प्रासंगिक सामुदायिक, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, कॉलेज के छात्रों को शामिल किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

जनगणना पिछले एक दशक में देश की प्रगति की समीक्षा करने, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी करने एवं सबसे महत्वपूर्ण भविष्य की योजना बनाने का आधार है। इसलिये इसका नारा है "हमारी जनगणना - हमारा भविष्य"।

ब्लू इकोनॉमी का महत्त्व

संदर्भ

महामारी के बाद प्रमुख समस्याओं में से एक रोज़गार एवं आजीविका की चुनौती है। इसका समाधान समुद्री संसाधनों के उचित उपयोग से किया जा सकता है। ब्लू इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियों और रोज़गार सृजन की अपार संभावनाएँ है।

भारत की समुद्री स्थिति अद्वितीय है। इसकी 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा एवं दो मिलियन वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone -EEZ) है। भारत के पास विशाल समुद्री संसाधन है। अत: आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, बेरोज़गारी, खाद्य सुरक्षा और गरीबी से निपटने के लिये एक उपयुक्त अवसर है।

ब्लू इकोनॉमी में निवेश भारत के आर्थिक विकास, जलवायु एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी फायदेमंद रहेगा।

ब्लू इकोनॉमी बनाम महासागरीय अर्थव्यवस्था

- 'ब्लू इकोनॉमी' एक उभरती हुई अवधारणा है जो हमारे महासागर या जलीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्रोत्साहित करती है।
- ग्रीन इकोनॉमी के समान, ब्लू इकोनॉमी मॉडल का उद्देश्य मानव कल्याण और सामाजिक समानता में सुधार करना है साथ ही, पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन को कम करना है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का मानना है कि ब्लू इकोनॉमी में तीन बिंदु शामिल हैं:
  - वैश्विक जल संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था
  - अभिनव विकास संबंधित अर्थव्यवस्था
  - समुद्री अर्थव्यवस्था का विकास
- यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ब्लू इकोनॉमी समुद्री संसाधनों को केवल आर्थिक विकास के लिये एक तंत्र के रूप में देखने से परे है।
- महासागरीय अर्थव्यवस्था मॉडल में बड़े पैमाने पर औद्योगिक राष्ट्रों ने बिना भविष्य में परिस्थिति तंत्र, मानव समुदाय के स्वास्थ्य एवं इन संसाधनों की उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन किये महासागरीय एवं समुद्री संसाधनों का दोहन किया है।
  - उदाहरण के लिये शिपिंग, वाणिज्यिक मछली पकड़ने और तेल, गैस, खनिज और खनन उद्योगों के माध्यम से।
- ब्लू इकोनॉमी केवल बाज़ार में नए अवसर नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यह अधिक अमूर्त समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विकास का भी प्रावधान करता है।
  - उदाहरण के लिये जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों को कम करने में कमज़ोर राज्यों की मदद करने के लिये जीवन के पारंपरिक तरीके, कार्बन पृथक्करण इत्यादि का प्रयोग करना।
- यह एक समावेशी मॉडल प्रदान करता है जिसमें तटीय राज्य, जिनके पास अपने समृद्ध समुद्री संसाधनों के प्रबंधन करने की क्षमता का अभाव होता है, उन संसाधनों का लाभ सभी तक पहुँचाना शुरू कर सकते हैं।

महत्त्व

- निवेश पर उच्च लाभ: नॉर्वे के प्रधानमंत्री की सह-अध्यक्षता में एक स्थायी महासागरीय अर्थव्यवस्था के लिये उच्च-स्तरीय पैनल द्वारा किये गए नए शोध से पता चलता है कि प्रमुख महासागरीय गतिविधियों में निवेश किये जाने वाले प्रत्येक डॉलर के बदले पाँच गुना या उससे अधिक मूल्य प्राप्त होता है।
  - भारत सरकार द्वारा जारी न्यू इंडिया विज़न में ब्लू इकोनॉमी को 10 प्रमुख आयामों में से एक बताया गया है।

नोट :

- सतत् विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग : इससे संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत् विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से एसडीजी 14 'जल के नीचे जीवन' (लाइफ Below Water) को पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- सतत् ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग का समर्थन करते हुए, अपतटीय क्षेत्रों में अपतटीय पवन, लहरों, ज्वारीय धाराओं सहित महासागरीय धाराओं और तापीय ऊर्जा के लिये व्यापक संभावनाएँ हैं।
- भारत के लिये महत्त्व: नौ तटीय राज्यों, 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में फैली 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ, व्यापार का 95% समुद्री मार्ग के जरिए होता है और इसके सकल घरेलू उत्पाद में 4% (अनुमानित) का योगदान करती है।
  - ब्लू इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में एक बड़े कार्यबल को शामिल करने की क्षमता है और पिछले कई दशकों से कम से कम मछली पकड़ने, जलीय कृषि, मछली प्रसंस्करण, समुद्री पर्यटन, शिपिंग और बंदरगाह गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में ऐसा दृष्टव्य है।
  - अब अपतटीय पवन, समुद्री जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, और जहाज निर्माण एवं जहाज तोड़ने जैसी अन्य गतिविधियाँ भी बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है।

आगे की राह

- ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने हेतु पैकेज प्रदान करना: COVID-19 जैसे संकट से निपटने के लिये ब्लू इकोनॉमी हेतु एक सतत् और न्यायपूर्ण प्रोत्साहन पैकेज़ प्रदान की जानी चाहिये। जिससे वैश्विक स्तर पर एवं भारत के लिये भी स्थायी समुद्री तंत्र का निर्माण हो। इसमें निम्नलिखित पाँच प्रोत्साहन कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये:
  1. तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु निवेश,
  2. तटीय समुदायों के लिये सीवेज और अपशिष्ट जल अवसंरचना,
  3. टिकाऊ समुद्री जलीय कृषि,
  4. शून्य-उत्सर्जन समुद्री परिवहन, और
  5. महासागर-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा के लिये प्रोत्साहन।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत-नॉर्वे एकीकृत महासागर प्रबंधन पहल (India-Norway Integrated Ocean Management Initiative) एक अच्छा उदाहरण है, जिसके तहत शोधकर्ता और अधिकारी समुद्री स्थानिक योजना(Marine Spatial Planning) के माध्यम से समुद्री संसाधनों के शासन में सुधार के लिये सहयोग कर रहे हैं।
- ब्लू इकोनॉमी में शिक्षा: विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग / तकनीकी संस्थानों में ब्लू इकोनॉमी के पारंपरिक और उभरते दोनों क्षेत्रों से जुड़े शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिये। इससे संबंधित प्रशिक्षकों को बहाल किया जाना चाहिये।
- गांधीवादी दृष्टिकोण: भारत को विकास, रोज़गार सृजन, समानता और पर्यावरण की सुरक्षा के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के साथ आर्थिक लाभों को संतुलित करने के लिये गांधीवादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिये।

निष्कर्ष

आर्थिक और पर्यावरणीय संघर्ष के प्रति संतुलन को बनाए रखने में महासागर की भूमिका है। शिपिंग डी-कार्बोनाइजेशन, सी फूड (Sea Food) का उत्पादन और महासागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश से बेहतर स्वास्थ्य परिणाम, समृद्ध जैव विविधता, अधिक सुरक्षित नौकरियाँ और आने वाली पीढ़ियों के लिये एक सुरक्षित ग्रह उपलब्ध होता है।

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

G-7 और भारत

संदर्भ

आगामी कुछ दिनों में यूनाइटेड किंगडम में G-7 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। कोविड-19 के बाद होने वाला यह शिखर सम्मेलन पश्चिमी राष्ट्रों के सामूहिक राजनीतिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

- इसके अलावा सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री भी डिजिटल रूप से हिस्सा लेंगे। भारत के लिये G-7 शिखर सम्मेलन अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी के विभिन्न आयामों का विस्तार करने का एक उपयुक्त अवसर है।
- इस प्रकार यह शिखर सम्मेलन भारत और पश्चिमी देशों के मध्य एक नए वैश्विक समझौते की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में उभर सकता है।

G-7: पृष्ठभूमि

- G-7 को औद्योगीकृत अर्थव्यवस्थाओं के परामर्शकर्त्ता के रूप में बनाया गया था, ये देश वर्ष 1975 में G-7 की उत्पत्ति के बाद से लोकतांत्रिक रहे हैं।
- मूलत: इस संस्था का नाम G-6 था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इटली शामिल थे। वर्ष 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हुआ फिर इसका नाम G-7 पड़ा।
- पुन: रूस के शामिल होने के पश्चात् यह G-8 कहलाया जाने लगा किंतु, वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण के कारण इसे समूह से बेदखल कर दिया गया।

भारत के लिये G-7 शिखर सम्मेलन का महत्त्व

- 'अमेरिका फर्स्ट' से 'अमेरिका इज़ बैक' तक: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की "अमेरिका फर्स्ट" नीतियों ने विश्व पर अमेरिकी आधिपत्य को कमज़ोर कर दिया। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी गठबंधनों को मजबूत करने और भारत को एक नए वैश्विक समीकरणों में शामिल करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।
- एक मजबूत G-7 गठबंधन की आवश्यकता: आक्रामक होते हुए चीन द्वारा उत्पन्न की जाने वाली चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने की तात्कालिक ज़रूरत और महामारी के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हुए एक मजबूत G-7 गठबंधन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। ये चुनौतियाँ भारत और पश्चिम के हितों के बीच अभूतपूर्व तालमेल पैदा कर रही हैं।
- G-7 से जी-11: कुछ समय पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि दुनिया के सबसे विकसित देशों के समूह, G-7, की प्रासंगिकता अब कम हो गई है एवं उन्होंने इसका विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था।
  - अत: भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को इसमें आमंत्रित कर इस समूह को G-7 से G-11 में बदलने की संभावना के रूप में देखा जा सकता है।
  - G-11 का विचार भी एक वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में उभर सकता है एवं भारत इसके केंद्र में है।
  - इसके अलावा प्रस्तावित जी-11 समूह दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत के स्थान को मान्यता प्रदान करेगा और इसके वैश्विक स्तर पर इसकी आवाज़ को स्वीकृति मिलेगी।
- चीन से मुकाबला: ज्ञातव्य है कि चीन भारत की वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है।
  - अत: एक पश्चिमी धुरी का निर्माण जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ-साथ क्वाड के साथ मजबूत द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग भारत को चीन से मुकाबला करने में मदद कर सकता है।

- भारत वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में लोकतांत्रिक दुनिया के लिये उन्मुख भविष्य की आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में उभर रहा है।

- वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन को आसान बनाना: G-7 शिखर सम्मेलन में रूस को भी आमंत्रित किये जाने के साथ, भारत को अब उम्मीद है कि अमेरिका और रूस के बीच एक नए सिरे से बातचीत से उनके बीच तनाव कम हो सकता है और महान शक्तियों के बीच भारत के संतुलन को आसान बनाएगा।

G-7 और भारत के साथ संबद्ध चुनौतियाँ

- हितों का टकराव: भारत और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते पारस्परिक हितों के बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि दोनों पक्ष हर बात पर सहमत होंगे।
  - पश्चिमी देशों के भीतर विचलन के कई क्षेत्र हैं जैसे- राज्य की आर्थिक भूमिका से लेकर सोशल मीडिया के लोकतांत्रिक विनियमन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र।
- G-7 के भीतर आंतरिक संघर्ष: जलवायु परिवर्तन, सुरक्षा योगदान, ईरान, आदि मुद्दों पर सदस्यों के मतभेदों को देखते हुए अब तक एक बहुपक्षीय मंच के रूप में G-7 की प्रभावशीलता के मूल्यांकन की आवश्यकता है।
- उभरता हुआ नया शीत युद्ध: चीन के साथ सीमा पर तनाव के बावजूद, भारत को एक ऐसे समूह में भाग लेने के अपने उद्देश्यों पर भी विचार करना चाहिये जो अमेरिका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

जबकि भारत एशिया और दक्षिणी विश्व में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा है, पश्चिमी देशों के साथ एक अधिक उत्पादक साझेदारी भारत के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में मदद करती है एवं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नया आयाम जुड़ेगा।

हालाँकि इसके लिये वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन को कम करने, हरित विकास को बढ़ावा देने, भविष्य में दुनिया के महामारियों के प्रति प्रतिरक्षा विकसित करने जैसे साझा हितों पर निरंतर बातचीत की आवश्यकता होगी।

The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में क्रिप्टोकरेंसी का भविष्य

संदर्भ

वर्ष 2008 में बिटकॉइन के निर्माण के साथ आज की तारीख तक क्रिप्टोकरेंसी ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। जनवरी 2020 में कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से इस क्षेत्र में लाभ आश्चर्यजनक हैं। ज्ञातव्य है कि "क्रिप्टोमार्केट" में 500% से अधिक की वृद्धि हुई।

- हालाँकि 2018-19 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि क्रिप्टोकरेंसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत डिजिटल क्रांति के अब तक सभी चरणों को देर से अपनाने वाला रहा है चाहे वो अर्द्धचालक या इंटरनेट या फिर स्मार्टफोन।
- अत: अब इन आभासी मुद्राओं पर विचारों को बदलने एवं उन्हें स्वीकृति देने की आवश्यकता है क्योंकि ये भारत की डिजिटल क्रांति के नए चरण में प्रवेश करने की दिशा में भारत का पहला कदम होगा।

क्रिप्टोकरेंसी का उदय: पहली क्रिप्टोक्यूरेंसी, बिटकॉइन, का वर्ष 2010 में केवल $ 0.0008 का कारोबार किया था और अप्रैल 2021 में इसका बाज़ार मूल्य लगभग $ 65,000 था।

- बिटकॉइन के लॉन्च के बाद से कई नए क्रिप्टोकरेंसी भी बाज़ार में आए एवं मई 2021 तक उनका कुल बाज़ार मूल्य 2.5 ट्रिलियन डॉलर हो गया है।

क्रिप्टोकरेंसी का महत्त्व:

- भ्रष्टाचार की रोकथाम: चूंकि क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन प्रणाली अर्थात् पीयर-टू-पीयर नेटवर्क पर कार्य करती हैं, यह धन के प्रवाह और लेनदेन को ट्रैक करके भ्रष्टाचार को रोकने में मदद करता है।
- समय प्रभावी: क्रिप्टोकरेंसी धन के प्रेषक और रिसीवर के लिये पर्याप्त समय बचाने में मदद कर सकती है क्योंकि यह पूरी तरह से इंटरनेट पर संचालित होता है। यह एक ऐसे तंत्र पर चलता है जिसमें बहुत कम लेनदेन शुल्क शामिल होता है और यह लगभग तात्कालिक होता है।
- लागत प्रभावी: बैंक, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे जैसे बिचौलिये अपनी सेवाओं के लिये $ 100 ट्रिलियन की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था से लगभग 3% शुल्क के रूप में लेते हैं।
  - इन क्षेत्रों में ब्लॉकचेन को एकीकृत करने से सैकड़ों अरबों डॉलर की बचत हो सकती है।
- भारत में क्रिप्टोकरेंसी: वर्ष 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी के क्षेत्र में कार्य करने से रोका गया। इस सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2020 में असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
  - हाल ही में सरकार ने एक संप्रभु डिजिटल मुद्रा बनाने और साथ ही, सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिये "क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021" पेश करने की घोषणा की है।
  - भारत में भारतीय ब्लॉकचेन स्टार्ट-अप्स में जाने वाली धनराशि वैश्विक स्तर पर इस क्षेत्र द्वारा जुटाई गई राशि का 0.2% से भी कम है।
  - क्रिप्टोकरेंसी के प्रति वर्तमान दृष्टिकोण के कारण ब्लॉकचेन उद्यमियों और निवेशकों के लिये बहुत अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना लगभग असंभव है।

विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े मुद्दे

- पूर्ण प्रतिबंध: "क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021" भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है।
  - हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी को सार्वजनिक (सरकार समर्थित) या निजी (एक व्यक्ति के स्वामित्व वाली) के रूप में वर्गीकृत करना गलत है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी विकेंद्रीकृत हैं लेकिन निजी नहीं हैं।

- बिटकॉइन जैसी विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी को निजी या सार्वजनिक किसी भी संस्था द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
- ब्रेन-ड्रेन: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध के परिणामस्वरूप भारत से प्रतिभा और व्यवसाय दोनों का पलायन हो सकता है, जैसा कि आरबीआई के 2018 के प्रतिबंध के बाद हुआ था।
  - उस समय ब्लॉकचेन विशेषज्ञ स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, एस्टोनिया और यू.एस. जैसे देशों में चले गए जहाँ क्रिप्टो को विनियमित किया गया था।
  - पूर्ण प्रतिबंध के कारण नवाचार, शासन, डेटा अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्रों में ब्लॉकचेन के उपयोग में अवरोध उत्पन्न होगा।
- परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी का अभाव: यह प्रतिबंध भारत के उद्यमियों और नागरिकों को एक ऐसी परिवर्तनकारी तकनीक से वंचित करेगा जिसे दुनिया भर में तेज़ी से अपनाया जा रहा है, जिसमें टेस्ला और मास्टरकार्ड जैसे कुछ सबसे बड़े उद्यम शामिल हैं।
  - निजी क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से केवल समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, अवैध उपयोग को बढ़ावा मिलेगा जो प्रतिबंध के मूल उद्देश्य को विफल कर देगा। प्रतिबंध संभव नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकता है।

विरोधाभासी नीतियाँ: क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के ब्लॉकचैन, 2021 पर राष्ट्रीय रणनीति के मसौदे के साथ असंगत है, जिसने ब्लॉकचेन तकनीक को पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल तकनीक के रूप में स्वीकार किया।

आगे की राह

- विनियमन ही समाधान: गंभीर समस्याओं को रोकने के लिये एवं यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग न हो तथा निवेशकों को अत्यधिक बाजार अस्थिरता और संभावित घोटालों से बचाने के लिये विनियमन की आवश्यकता है।
  - विनियमन को स्पष्ट, पारदर्शी, सुसंगत और इस दृष्टि से अनुप्राणित होने की आवश्यकता है कि उसका उद्देश्य क्या है।
- क्रिप्टोकरेंसी परिभाषा पर स्पष्टता: कानूनी और नियामक ढाँचे को पहले क्रिप्टो-मुद्राओं से संबंधित परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिये। राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये मुद्रा प्रतिभूतियों के तहत आयेंगे या अन्य वित्तीय साधनों के रूप में परिभाषित किये जाएंगे।
  - मजबूत केवाईसी मानदंड: क्रिप्टोकरेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध के बजाय सरकार कड़े केवाईसी (Know Your Customer) मानदंडों, रिपोर्टिंग और कर योग्यता को शामिल करके क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को विनियमित करेगी।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करना: पारदर्शिता, सूचना उपलब्धता और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिये रिकॉर्ड कीपिंग, निरीक्षण, स्वतंत्र ऑडिट, निवेशक द्वारा शिकायत निवारण और विवाद समाधान पर भी विचार किया जा सकता है।
- उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना: क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में उद्यमशीलता की लहर को बढ़ावा दे सकती है एवं ब्लॉकचैन डेवलपर्स से लेकर डिज़ाइनरों, प्रोजेक्ट मैनेजरों, बिज़नेस एनालिस्ट, प्रमोटर्स और मार्केटर्स तक विभिन्न स्तरों पर रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती है।

निष्कर्ष

भारत वर्तमान में डिजिटल क्रांति के अगले चरण के शिखर पर है और अपनी मानव पूंजी, विशेषज्ञता और संसाधनों को इस क्रांति में शामिल कर इसके नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकता है। इसके लिये केवल नीति निर्धारण को ठीक करने की आवश्यकता है।

ब्लॉकचैन और क्रिप्टो संपत्ति चौथी औद्योगिक क्रांति का एक अभिन्न अंग होगी भारतीयों को इसे बायपास नहीं करना चाहिये।

जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन

वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक जंगलों का 7% नष्ट हो गया है। हाल के आकलन से संकेत मिलता है कि अगले कुछ दशकों में दस लाख से अधिक प्रजातियाँ हमेशा के लिये विलुप्त सकती हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और वर्तमान में चल रही महामारी हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालेगी। भारत भी इसका अपवाद नहीं है।

वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन को सुधारना जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने और भविष्य में होने वाले संक्रामक रोगों के प्रकोप को कम करने का एक तरीका है। जैव विविधता का संरक्षण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण हेतु आवश्यक है।

इस संदर्भ में जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Biodiversity and Human WellBeing- NMBHWB) सही दिशा में एक कदम है।

भारत की जैव विविधता का महत्त्व

- जैव विविधता हॉटस्पॉट: भारत के पास विश्व का केवल 2.3% भू-भाग है किंतु यहाँ वैश्विक जैव विविधता का लगभग 8% पाया जाता है। 36 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से चार भारत में हैं।
- आश्चर्यजनक आर्थिक मूल्य: हालाँकि जैव विविधता द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का सटीक आर्थिक मूल्य ज्ञात नहीं हो सकता है, फिर भी एक अनुमान के अनुसार, अकेले भारत के वन प्रति वर्ष एक ट्रिलियन रुपये से अधिक की सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं।
  - इसके अलावा यह कल्पना की जा सकती है कि घास के मैदानों, आर्द्रभूमि, मीठे पानी और समुद्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादित सेवाओं को जोड़ लिया जाए तो इसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा।
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा: भूमि, नदियों और महासागरों में विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र हमारे खाद्य श्रृंखला को मजबूत बनाते है, हमें पोषण प्रदान करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाते हैं एवं हमें पर्यावरणीय आपदाओं से बचाते हैं।
- आध्यात्मिक उत्थान: हमारी जैव विविधता आध्यात्मिक उत्थान के एक सतत् स्रोत के रूप में भी कार्य करती है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।

NMBHWB: विज़न

- वर्ष 2018 में प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद (Prime Minister's Science, Technology and Innovation Advisory Council-PM-STIAC) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के परामर्श से जैव विविधता और मानव कल्याण पर एक mahattwakansh राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी।
- इस मिशन के तहत् एक राष्ट्रीय प्रयास प्रस्तावित है, जिसका उद्देश्य जैव विविधता विज्ञान को लोगों की आर्थिक समृद्धि से जोड़कर बदलना है। साथ ही, भारत की समृद्ध जैव विविधता का उपयोग करके कृषि, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के समाधान करने एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को साकार करने में भारत की मदद करना है।
- इस मिशन के तहत् अनुसंधान संस्थान, सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हमारी विशाल लेकिन घटती प्राकृतिक संपत्तियों को सूचीबद्ध करने, मानचित्र बनाने, मूल्यांकन करने, निगरानी करने और उनका सतत् उपयोग करने के लिये मिलकर काम करेंगे।
- यह मिशन भारतीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिये जैव विविधता वैज्ञानिक एवं इससे जुड़े पेशेवरों का एक संवर्ग बनाने में भी मदद करेगा।
- अंत में यह मिशन भारत की विशाल आबादी को अपनी प्राकृतिक विरासत पर गर्व महसूस करने और प्रकृति को पुन: अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त करने एवं संरक्षित करने में मदद करने के लिये एक जन आंदोलन शुरू करने की उम्मीद करता है।

NMBHWB: प्रभाव

- मानव एवं प्रकृति के मध्य असंतुलित संबंध: महामारी ने मनुष्य एवं प्रकृति के बीच खराब संबंधों को उज़ागर कर दिया है एवं चुनौतियों की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित किया है, जैसे: संक्रामक रोगों का उद्भव; भोजन और पोषण सुरक्षा की कमी; ग्रामीण बेरोज़गारी; और जलवायु परिवर्तन, आदि। इस संदर्भ में, मिशन निम्नलिखित तरीकों से मदद कर सकता है:
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: यह मिशन कृषि उत्पादन प्रणालियों को फिर से जीवंत कर सकता है, जैव विविधता आधारित कृषि से ग्रामीण आय में वृद्धि कर सकता है तथा प्राकृतिक पर्यटन के जरिए लाखों रोज़गार भी पैदा कर सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बढ़ाना: इस मिशन की सहायता से भारत को जैविक विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biodiversity-CBD), गरीबी उन्मूलन, न्याय एवं जीवन की सुरक्षा सहित सामाजिक मुद्दों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य के नए ढाँचे के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है।
  - इसके अलावा भारत को प्राकृतिक संपत्ति के संरक्षण और सामाजिक कल्याण के बीच संबंध प्रदर्शित करने के एक जरिए के रूप में उभरने में मदद कर सकता है।

नोट :

- आर्थिक लाभ: इस मिशन के तहत व्यापक प्रयास से भारत की प्राकृतिक संपत्ति को पुन: बहाल करने कई गुना तक बढ़ाने के लिये सशक्त बनाएँगे।
  - इसके अलावा भारत की निम्नीकृत भूमि में पुनर्स्थापन गतिविधियों से, जो हमारे भूमि क्षेत्र का लगभग एक तिहाई है, कई मिलियन नौकरियाँ पैदा कर सकती हैं।
- राष्ट्रीय प्रतिबद्धता विकसित करना: यह जैव विविधता को बनाए रखने, सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने और एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के लिये जनता को एकजुट करने हेतु राष्ट्रीय समुदाय उत्पन्न करेगा।

आगे की राह

- 'वन हेल्थ' अवधारणा की परिकल्पना: हमारी कृषि प्रणालियों को बनाए रखने वाली मिट्टी में अदृश्य बायोटा सहित सभी जीवित जीवों के लिये एक स्वास्थ्य की अवधारणा पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
  - एक स्वास्थ्य अवधारणा को लागू करने में अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान की क्षमता के साथ-साथ भविष्य की महामारियों को कम करने की निवारक क्षमता भी है।
- समर्पित वर्ग: 21वीं सदी की विशाल और जटिल पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिये एक मजबूत, व्यापक और समर्पित वर्ग की आवश्यकता है।
  - इसके लिये नागरिक समाज में निवेश के साथ-साथ स्थिरता और जैव विविधता विज्ञान में उच्चतम क्षमता के प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होगी।
- सांस्कृतिक परिवर्तन को सक्षम बनाना: पर्यावरण परिवर्तन के लाभ को प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक लाखों छात्रों के लिये पर्यावरण शिक्षा से सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा बनाए रखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा।
- प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देना: इस मिशन में कई पर्यावरणीय चुनौतियों के लिये प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसमें नदियों, जंगलों और मिट्टी का क्षरण, जलवायु परिवर्तन के खतरे एवं जलवायु-लचीला समुदाय बनाने का लक्ष्य शामिल हैं।

निष्कर्ष

इस विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर हमारे विशाल देश में फैले कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों के पुनर्निर्माण के तरीकों पर विचार करना चाहिये। इस संदर्भ में NMBHWB एक समग्र एकीकृत दृष्टिकोण और व्यापक सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा दे सकता है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

अंडमान एवं निकोबार दीप समूह का सतत् विकास

संदर्भ

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands- ANI), जिसे 'BAY Islands' के नाम से जाना जाता है, समुद्री और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से भारत के लिये बहुत महत्त्व रखता है। ANI भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का लगभग 30% भाग प्रदान करता है।

- ANI एक समृद्ध जैव विविधता का क्षेत्र होने के अलावा, कई आदिवासीयों एवं विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों का भी घर है, जिनमें से कुछ विलुप्त होने के कगार पर हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में इन द्वीप समूहों के लिये आर्थिक उद्देश्यों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सैन्यीकरण के लिये काफी परियोजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं।
- भारत को एक समुद्री शक्ति बनाने के लिये इन द्वीपों में जितनी क्षमता है उतना ही इन द्वीपों का पारिस्थितिक महत्त्व भी है; इसे कम करने नही आंका जाना चाहिये। अत: इन द्वीपों का संतुलित विकास योजना ही अंतिम समाधान है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman and Nicobar Islands- ANI)

- ANI की प्राचीनतम जनजातियाँ: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाँच PVTG (Particularly Vulnerable Tribe Group) का घर है, जिसमें ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग्स, शोम्पेन और नॉर्थ सेंटेनलीज़ शामिल हैं। ग्रेट निकोबारी एक अनुसूचित जनजाति है।
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों की जनसंख्या में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से गिरावट आई है।
- ANI का महत्त्व: अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे भारत के प्रमुख समुद्री साझेदार अंडमान और निकोबार के रणनीतिक महत्त्व को स्वीकार करते हैं।
  - ये द्वीप न केवल भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति मानते हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक और सैन्य गतिशीलता को आकार देने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- ANI के समान द्वीप क्षेत्र: फ्रांस का ला रीयूनियन द्वीप ANI के समान है और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है।
  - हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के भी द्वीप स्थित हैं, जो क्रमश: कोकोस (कीलिंग) द्वीपों और डियागो गार्सिया हैं।
  - हालाँकि, डियागो गार्सिया की संप्रभुता मॉरीशस द्वारा विवादित है, जिसने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रस्ताव के माध्यम से समर्थन प्राप्त किया है।
  - ANI और रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण द्वीप समूहों की श्रृंखला का हिस्सा हैं।

वर्तमान में ANI के विकास हेतु योजनाएँ

- जापान की विदेशों में विकास हेतु सहायता: मार्च 2021 में पहली बार जापान की सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विकास परियोजनाओं के लिये लगभग ₹265 करोड़ की अनुदान राशि को मंज़ूरी दी।
  - यह द्वीपों के लिये जापान की पहली विदेशी विकास सहायता (Overseas Development Assistance- ODA) पहल है।
- ANI एक समुद्री और स्टार्टअप हब के रूप में: अगस्त, 2020 में प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "समुद्री और स्टार्टअप हब" के रूप में विकसित किया जाएगा।

नोट :

- प्रभावी परियोजनाओं के लिये इस द्वीपसमूह के 12 द्वीपों का चयन किया गया है। इस क्षेत्र में समुद्र आधारित, जैविक एवं नारियल आधारित उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- ग्रेट निकोबार के लिये नीति आयोग की परियोजना: ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है।
  - नीति आयोग द्वारा जारी प्रस्ताव में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बिजली संयंत्र और एक टाउनशिप परिसर शामिल है, जो 166 वर्ग किमी में फैला है।
- लिटिल अंडमान के लिये नीति आयोग का प्रस्ताव: इस योजना में एक नया ग्रीनफील्ड तटीय शहर बनाना शामिल है, जिसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा यह सिंगापुर और हांगकांग के तर्ज़ पर विकसित किया जाएगा

ANI से जुड़े मुद्दे

- कनेक्टिविटी की कमी: इस द्वीप समूह, विशेष रूप से लिटिल अंडमान द्वीप, का भारतीय मुख्य भूमि एवं वैश्विक शहरों के साथ बहुत कम संपर्क है।
- भौगोलिक अस्थिरता: द्वीप के समूह अत्यधिक भूकंप सक्रिय क्षेत्र में स्थित हैं।
  - वर्ष 2004 के भूकंप और उसके साथ आई सुनामी ने द्वीप श्रृंखला के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया।
  - निकोबार और कार निकोबार (सबसे उत्तरी निकोबार द्वीप) ने अपनी आबादी का लगभग पाँचवां हिस्सा एवं अपने मैंग्रोव का लगभग 90% खो दिया।
- घटती जनसंख्या: वर्ष 1901 की तुलना में वर्ष 2011 में ग्रेट अंडमानी, ओन्गे, जरावा और नॉर्थ सेंटेनलीज़ जैसे मूल समुदायों की जनसंख्या 1,999 से गिरकर 550 हो गई है।
  - पारिस्थितिकी रूप से सुभेद्य लिटिल अंडमान द्वीप में बड़े पैमाने पर परियोजनाओं, महामारी और अपंगता की समस्या के कारण ओन्गे जनजाति लगभग विलुप्त हो रही है।
  - लिटिल अंडमान के लिये नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक परियोजना में आरक्षित वन का 32% डी-रिज़र्व करना एवं जनजाति हेतु आरक्षित वन के 31% वन को गैर-अधिसूचित करना शामिल है, जिससे जनजातीय समूहों की बस्तियों को खतरे में डाल दिया है।
- ब्लू इकोनॉमी के पहलू: हिंद महासागर में द्वीप राष्ट्रों के सामने आने वाले प्राथमिक मुद्दे में से एक ब्लू इकोनॉमी का मुद्दा है।
  - सतत् विकास, अवैध मछली पकड़ने, आपदा प्रबंधन, जलवायु संकट, नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दे पर्यटन के साथ-साथ द्वीपों के विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र को भी प्रभावित करते हैं।
- विकास और जैव विविधता: पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिये ANI में कई बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का प्रस्तावित किया गया है।
  - हालाँकि यह द्वीपों को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, इससे जैव विविधता का नुकसान भी होगा और वहाँ की जनजातियों पर लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone-CRZ) समिति ने इस शर्त पर ढाँचागत परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी दी कि सभी बड़े, मध्यम और छोटे पेड़ों को गिनकर भू-रेखांकित किया जाएगा एवं उन्हें काटा नहीं जाएगा।
  - हालाँकि, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation-ANIIDCO) उपर्युक्त धारा में संशोधन की मांग कर रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर पेड़ों को काटा जा सके।

आगे की राह

- संतुलित विकास: इसमें कोई शक नही है कि ANI का सैन्यीकरण, बुनियादी ढाँचे एवं विकासात्मक परियोजनाओं से भारत की रणनीतिक और समुद्री क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस तरह के विकास को जैव विविधता हॉटस्पॉट (ANI) के निर्मम शोषण की कीमत पर नहीं आनी चाहिये।

- ANI का सतत् विकास: अपनी आर्थिक, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय बाधाओं एवं जनजातियों की रक्षा के कानूनों को ध्यान में रखते हुए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अपनी आर्थिक और सैन्य क्षमता को अधिकतम करने के लिये पहले स्थायी रूप से विकसित करना होगा।
  - एक स्थायी द्वीप का फ्रेमवर्क न केवल ANI के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि हिंद महासागर के अन्य द्वीप राष्ट्रों के लिये भी महत्त्वपूर्ण होगा।
- सिस्टर द्वीप (Sister Islands): रीयूनियन उपर्युक्त चार द्वीप क्षेत्रों में सबसे विकसित द्वीप क्षेत्र है, जो आर्थिक ज़रूरतों के साथ-साथ हिंद महासागर में फ्रांस की सैन्य प्राथमिकताओं के लिये भी उपयुक्त है।
  - "सिस्टर सिटीज़" के विचार से "सिस्टर आइलैंड्स" की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।
  - भारत और फ्रांस को हिंद महासागर में द्वीप विकास के लिये एक स्थायी मॉडल की नींव बनाने के उद्देश्य से सिस्टर द्वीपों की अवधारणा विकसित करने में अंडमान और रीयूनियन के अपने द्वीप क्षेत्रों का उपयोग करने के प्रयास का नेतृत्व करना चाहिये।
  - सिस्टर शहरों की तरह, एक सिस्टर आइलैंड अवधारणा भारत और फ्रांस को द्वीप विकास के लिये एक स्थायी ढांचे को सह-विकसित करने की अनुमति देगी।
  - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की विकास योजनाएँ: यदि भारत को हिंद महासागर में क्षमता निर्माण में पहल एवं समुद्री परियोजनाओं में निवेश करना है तो विकास के लिये एक द्वीप मॉडल पर शोध और निर्माण करने की आवश्यकता है। इस तरह का दृष्टिकोण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नेतृत्व वाली पहल के लिये एक नया अवसर भी पैदा करता है।
  - जैसा कि भारत और इसके सहयोगी राष्ट्रों के मध्य समान हितों को प्राप्त करने के लिये हिंद-प्रशांत में पहुँच और प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धी हैं, अत: भारत को रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण द्वीप राष्ट्रों की क्षेत्रीय चिंताओं और चुनौतियों से जुड़ने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
- IOC की भूमिका: हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission- IOC) हिंद महासागर में एकमात्र द्वीप संचालित संगठन है। यह पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कृत है। फ्रांस ने हाल ही में IOC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारत वर्ष 2020 में औपचारिक रूप से एक पर्यवेक्षक के रूप में इस संगठन में शामिल हुआ।
  - यह दोनों देशों को एक द्वीप-केंद्रित विकास मॉडल का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है।
  - भारत हिंद महासागर के साथ-साथ प्रशांत महासागर में फ्रांस के द्वीपीय अनुभवों से भी सीख ले सकता है।

निष्कर्ष

भारत हिंद महासागर में अपने लाभों को बनाए रखना चाहता है, अत: भारत को इस क्षेत्र में चुनौतियों के समाधान हेतु अपने द्वीपीय क्षेत्रों एवं गैर- पारंपरिक सुरक्षा क्षेत्रों का रुख करना चाहिये। अंडमान और रीयूनियन द्वीप ऐसा करने के लिये एक बेहतर प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं।

विकास का ब्लू-ग्रीन आर्थिक ढाँचा

संदर्भ

सतत् विकास लक्ष्य के एजेंडा 2030 (Sustainable Development Goals-SDG) का थीम है - "लीव नो वन बिहाइंड (Leave No One Behind)" - यह गांधीजी के 'अंत्योदय के माध्यम से सर्वोदय' के दर्शन से मिलता-जुलता है, जिसमें हाशिए पर रह रहे लोगों के बारे में सर्वप्रथम सोचा जाता है।

यह सिद्धांत लंबे समय से भारतीय विचार और नीति का हिस्सा रहा है और राष्ट्रीय कार्यक्रमों और मिशनों के निष्पादन के लिये एक मौलिक गुण है

हालाँकि जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है, भारत सरकार को अपने शहरों के नियोजन एवं डिज़ाइन के दृष्टिकोण में बदलाव करना चाहिये ताकि 'ब्लू संसाधनों,' जैसे- समुद्र, नदियों, झीलों, झीलों आर्द्रभूमि, के साथ-साथ 'हरे संसाधनो', जैसे- पेड़, पार्क, उद्यान, खेल के मैदान और जंगल सतत् रूप से बने रहें।

ब्लू-ग्रीन आर्थिक ढाँचा

- ज्ञातव्य है कि ब्लू इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी की अवधारणा से ही व्युत्पन्न हुई है। जिसमें "मानव कल्याण और सामाजिक समानता में सुधार के साथ पर्यावरणीय जोखिमों और पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को कम करने हेतु जलवायु जोखिम के प्रति अनुकूलन करना शामिल है।

ग्रीन शहरीकरण (Green Urbanisation) एवं भारत में नीतियों का निर्माण:

- स्वच्छ भारत मिशन: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) भारत को खुले में शौच से मुक्त करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के निर्माण और व्यवहार में परिवर्तन लाने पर केंद्रित है।
  - स्वच्छता आंदोलन, वास्तव में, हमारे शहरी परिदृश्य के समग्र परिवर्तन का अग्रदूत बन गया है।
  - यह अनुमान है कि SBMU (Swachh Bharat Mission Urban) के तहत विभिन्न पहलों के तहत वर्ष 2022 तक 17.42 मिलियन टन ग्रीनहाउस गैस (Green House Gases-GHG) के उत्सर्जन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सकती है।
- स्मार्ट सिटीज़ मिशन: स्मार्ट सिटीज़ मिशन (Smart Cities Mission-SCM) शासन, स्थिरता और आपदा जोखिम के प्रति लचीलेपन में सुधार के लिये हमारे शहरों की तकनीकी प्रगति की परिकल्पना करता है।
  - इसके तहत शहरी केंद्रों में ऊर्जा दक्षता और गैर-मोटर चालित परिवहन क्षमता में सुधार करने की बात कही गई है।
  - SCM के तहत कार्यान्वित परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक कुल 4.93 मिलियन टन GHG उत्सर्जन के बराबर कार्बन डाईऑक्साइड में कमी आने की उम्मीद है।
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क: इसका उद्देश्य शहरों में हरित, टिकाऊ और जलवायु के प्रति अनुकूलन करने वाले शहरी आवास के लिये अंतरराष्ट्रीय मानकों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिये सहयोग एवं तकनीक के आदान-प्रदान में मदद करना है।
- अमृत : अमृत (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation- AMRUT) के तहत 500 लक्षित शहरों में जलापूर्ति एवं प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता एवं हरित स्थानों में वृद्धि का लक्ष्य है।
  - मिशन के परिणामस्वरूप वर्ष 2022 तक 48.52 मिलियन टन GHG उत्सर्जन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की संभावना है।
- प्रधान मंत्री आवास योजना: 1.12 करोड़ घरों को मंजूरी के साथ प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) ने नई निर्माण प्रौद्योगिकियों (उदाहरण के लिये फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग) पर ध्यान केंद्रित किया है जो अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा के प्रति लचीले हैं।
  - कुल मिलाकर मिशन के कार्यान्वयन से वर्ष 2022 तक 12 मिलियन टन GHG उत्सर्जन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की क्षमता है।
- मेट्रो रेल: ये एक ऊर्जा-कुशल जन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (Energy-efficient Mass Rapid Transit System) हैं। निकट भविष्य में 18 शहरों में इन्हें चालू करने की भारत सरकार की योजना है।

आगे की राह

- ब्लू-ग्रीन शहरी ढाँचे को संस्थागत बनाना: देश की नील-हरित संसाधनों (Blue -Green Resources) ko सुव्यवस्थित और सतत बनाए रखने के लिये सरकारों को समान वैधानिक शब्दावली और परिभाषा बनाने चाहिये तथा ऐसी सभी शहरी योजनाओं और रिकॉर्डों का व्यापक रूप से एकीकरण करना चाहिये जो वहाँ की पर्यावरणीय विशेषताओं को उजागर करते हैं।
- ब्लू-ग्रीन इकोनॉमिक एजेंडा: ब्लू-ग्रीन इकोनॉमिक एजेंडा बनाने के लिये भारत को अपने 'हरित प्रयासों' (Green Efforts) को 'ब्लू इकोनॉमी' के साथ जोड़ना चाहिये।
  - एक विशिष्ट ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कई आर्थिक लाभ हो सकते हैं, जैसे- स्वास्थ्य सुधार, प्रदूषण में कमी, बेहतर सुविधाएँ एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन तथा सामाजिक सामंजस्य।
- SDG की प्राप्ति में तेज़ी: ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में SDG में उल्लिखित कई लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता है, जैसे- जल (SDG 6 और SDG 14), भूमि (SDG 15) और जलवायु परिवर्तन (SDG 13) से संबंधित SDG हैं।

- ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हरित रोज़गार की संभावनाओं (SDG 1), खाद्य सुरक्षा (SDG 2), मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लोड (SDG 3) की भरपाई और शहरों में वायु और आवास गुणवत्ता में सुधार (SDG 11) पर प्रगति को तेज़ कर सकता है।
- इसमें निवेश पर रिटर्न से संबंधित SDG और रोज़गार की संभावनाओं को बढ़ाने वाले स्टार्टअप (SDG 8), सुनिश्चित लचीलापन (SDG 9), और प्राकृतिक स्थानों तक अधिक से अधिक न्यायसंगत पहुँच (SDG 10) के माध्यम से सामाजिक समावेशन के निहितार्थ भी होंगे।

- परिणाम-आधारित नीतियाँ: ब्लू-ग्रीन अवधारणा (Blue-green Concept) पर आधारित परियोजनाओं और प्रक्रियाओं के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके भारत के शहरी नियोजन दृष्टिकोण को बदल सकती है।
- सतत् भूमि प्रबंधन: केवल हरियाली बढ़ने एवं भूमि क्षरण को रोक कर जलवायु परिवर्तन को कम नहीं किया जा सकता है। इसे स्थायी भूमि प्रबंधन रणनीतियों के साथ जोड़ना होगा।
    - सतत् भूमि प्रबंधन भूमि के उपयोग की बदलती मानवीय जरूरतों (कृषि, वानिकी, संरक्षण) को पूरा करने के लिये है, जबकि लंबी अवधि में भूमि के सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिक उपयोग को सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष

ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर की अवधारणा अपेक्षाकृत नई है, लेकिन कई वैश्विक शहरों ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है, जो जलवायु प्रभावों और घटनाओं को प्रभावित कर रहा है। भारत में हरित बुनियादी ढाँचे (Green Infrastructure) की अवधारणा को कुछ हद तक स्वीकृति मिली है, अतः सरकार को इसके अंतर्गत ब्लू बुनियादी ढाँचे (Blue Infrastructure) को शामिल करने पर भी विचार करना चाहिये।

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

आपदाओं की बारंबारता: कारण एवं समाधान

संदर्भ

हाल ही में भारत लगातार दो चक्रवातों से प्रभावित हुआ। पहला, पश्चिमी तट पर चक्रवात ताउते और फिर पूर्वी तट पर चक्रवात यास। पर्यावरणीय आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता का संकेत देती है।

- हालाँकि अधिक चिंता का विषय एक आपदा के समाप्त होने से पहले दूसरी आपदा का आना (Overlapping Hazards) है। उदाहरण के लिये यास चक्रवात के तत्काल क्षति के पश्चात् इससे उत्पन्न बाढ़ ने स्थिति को पूरी तरह से अनियंत्रित एवं बदतर कर दिया।
- इसके अलावा, ये पर्यावरणीय आपदाएँ एक वैश्विक महामारी, कोविड -19, के दौरान आई जिससे इनका नकारात्मक प्रभाव कई गुना बढ़ गया
- सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को एक साथ इन अतिव्यापी खतरों (Overlapping Hazards) से उत्पन्न होने वाले कई जोखिमों को स्वीकार करने और उन्हें कम करने की दिशा में तत्काल उपाय करने की आवश्यकता है।

अतिव्यापी खतरों (Overlapping Hazards) के उदाहरण:

- गंगा-ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बाढ़: वर्षा के मौसम में गंगा ब्रह्मपुत्र के किनारों पर निवास करने वाले लोग कई तरह की परेशानियों से गुज़रते हैं। इन मैदानों की भौगोलिक स्थिति के कारण एक के बाद एक कई आपदाएँ आती हैं जिनका अलग-अलग प्रभाव पड़ता हैं। इनमें शामिल हैं:
    - जलभराव वाले क्षेत्र,
    - वे क्षेत्र जो नदी के किनारे हैं और जहाँ तट कटाव की संभावना है,
    - बिना तटबंध वाले क्षेत्रों में नदी में बाढ़,
    - तटबंध टूटने से गाँवों में बाढ़,
    - बाढ़ इत्यादि।
- चक्रवात प्रेरित बाढ़: चक्रवात यास और यास-प्रेरित बाढ़ के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में कई अतिव्यापी खतरों को देखा गया। उदाहरण के लिये:
    - जल में लवणता का असंतुलित होना,
    - कृषि का नुकसान और मत्स्य पालन पर खतरा,
    - समुद्री मत्स्य आपूर्ति श्रृंखला का बर्बाद होना
    - सड़ रही मछलियों, पौधों और जानवरों के कारण भीषण दुर्गंध से वायु प्रदूषण एवं जल-जनित रोग होने की संभावना।
- सामाजिक सुभेद्यता: अतिव्यापी खतरों के प्रभाव सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक परिस्थितियों पर भी निर्भर करते हैं।
    - ज़्यादातर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर रह रही आबादी को ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में निवास करना पड़ता है।
    - अक्सर भूमि (असंतुलित लवणता या क्षरण के कारण), सुरक्षित आवास, पानी और स्वच्छता, स्थिर आजीविका और बाज़ार जैसे विभिन्न संसाधनों तक उनकी पहुँच नहीं होती है।
    - यह उनकी सामाजिक भेद्यता का कारण और परिणाम दोनों है।

आगे की राह

- जोखिम के कारणों की पहचान करना: जब अतिव्यापी खतरे होते हैं तो प्रत्येक खतरे का अपना चरित्र होता है। अक्सर इन सभी खतरे का अंतिम प्रभाव का अलग-अलग होता है।
    - अत: आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों को भी आपदा की प्रकृति के अनुसार होना चाहिये।
    - बेहतर तैयारी और शमन उपायों के लिये सरकार को भारत का आपदा मानचित्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना: व्यक्तिगत एवं तात्कालिक रूप से आपदा के प्रति प्रतिक्रिया देने से बेहतर है सामुदायिक स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान केंद्रित करना एवं इसके प्रति लचीलेपन में वृद्धि करना। यह निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:
    - पहली बार में खतरों की घटना की आवृत्ति एवं संभावना को कम करना।
    - प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसी रणनीतियाँ।
    - निकासी और त्वरित बचाव के लिये पर्याप्त स्थानों की व्यवस्था।
    - आपदा प्रभाव आकलन को पर्यावरण प्रभाव आकलन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
- आपदा जोखिम बीमा: यह भू-वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री, जैविक, और तकनीकी/मानव निर्मित घटनाओं, या उनके संयोजन से उत्पन्न होने वाले खतरों को कवर करता है।
- विकेन्द्रीकृत किंतु एकीकृत ढाँचा: आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण को और अधिक विकेन्द्रीकृत करने की आवश्यकता है जैसा कि सेंदाई फ्रेमवर्क और 14वें वित्त आयोग द्वारा सुझाया गया है।
    - वार्ड स्तर की आपदा प्रबंधन योजना, मनरेगा के माध्यम से बड़े पैमाने पर एलिवेटेड प्लेटफॉर्म का निर्माण, स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुँच आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

अतिव्यापी खतरों से निपटने के लिये एवं जोखिम में कमी के लिये एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जहाँ प्रत्येक जोखिम चालक अंत:विषय विचार-विमर्श के अधीन है। इसके बाद वर्ष भर अलग अलग आपदाओं से बचने हेतु तैयारी की जानी चाहिये, जिससे जोखिम की तीव्रता को कम होगी।

सामाजिक न्याय

भारत में बाल श्रम

संदर्भ

कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवारों के बच्चों को मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे वर्ष लॉकडाउन ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे बाल श्रम को समाप्त करने की सारी कोशिशें कमज़ोर पड़ने लगी।

- बाल श्रम पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की वास्तविक सीमा को मापा जाना बाकी है, लेकिन ये तय है कि इसका दुष्प्रभाव बहुत व्यापक है।
- हालाँकि बाल श्रम में बढ़ावा देने वाले सभी कारक महामारी जनित नहीं है; उनमें से अधिकांश पहले से मौजूद थे लेकिन इसके द्वारा उजागर किये गए हैं। हालाँकि महामारी ने अपने योगदान करने वाले कारकों को बढ़ाया है, नीति और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप बच्चों को बचा सकते हैं।

भारत में बाल श्रम की स्थिति

- बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है। नियमित स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, और यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है।
- भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग के 10.1 मिलियन बच्चें कार्यरत है, जिनमें से 8.1 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषक (23%) और खेतिहर मजदूरों (32.9%) के रूप में कार्यरत हैं।

बाल श्रम के कई दुष्प्रभाव हैं:

- रोग जैसे त्वचा रोग, फेफड़ों के रोग, कमज़ोर दृष्टि, टीबी आदि के अनुबंध के जोखिम।
- कार्यस्थल पर यौन शोषण की सुभेद्यता।
- शिक्षा से वंचित होना।
- वे विकास के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं और अपने शेष जीवन अकुशल श्रमिकों के रूप में निकालते हैं।

बाल श्रम: संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसार, किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है।
- अनुच्छेद 24 के अनुसार, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिये नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 39 के अनुसार "पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकत एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है"।
- इसी तरह बाल श्रम अधिनियम (निषेध और विनियमन), 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है।
- मनरेगा 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और मध्याह्न भोजन योजना जैसे नीतिगत हस्तक्षेपों ने ग्रामीण परिवारों के लिये गारंटीशुदा मज़दूरी रोज़गार (अकुशल मज़दूरों हेतु) के साथ-साथ बच्चों के स्कूलों में रहने का मार्ग प्रशस्त किया है।
- इसके अलावा वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कन्वेंशन संख्या 138 और 182 के अनुसमर्थन के साथ, भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिये अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।

नोट :

बाल श्रम से जुड़े मुद्दे

- कारण-प्रभाव संबंध: बाल श्रम और शोषण कई कारकों का परिणाम है, जिसमें गरीबी, सामाजिक मानदंड उन्हें माफ करना, वयस्कों और किशोरों के लिये अच्छे काम के अवसरों की कमी, प्रवास और आपात स्थिति शामिल हैं। ये कारक सामाजिक असमानताओं के न केवल कारण हैं बल्कि भेदभाव प्रेरित परिणाम भी हैं।
- राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये खतरा: बाल श्रम, शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूलों तक पहुँच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो रहा है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिये नकारात्मक साबित हो रही है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम: हालाँकि बाल श्रम कानून पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, भारत भर में बाल मजदूर विभिन्न अनौपचारिक उद्योगों जैसे- ईंट भट्टों, कालीन बुनाई, परिधान निर्माण, कृषि, मत्स्य पालन आदि में कार्यरत हैं।
- प्रच्छन्न बाल श्रम: पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम की दर में गिरावट के बावजूद, बच्चों को अभी भी घरेलू मदद जैसे कार्यों में प्रच्छन्न रूप से बाल श्रम के इस्तेमाल किया जा रहा है।
  - बाल श्रम तात्कालिक रूप से खतरनाक प्रतीत नहीं हो सकता है लेकिन यह उनकी शिक्षा, उनके कौशल अधिग्रहण के लिये दीर्घकालिक और विनाशकारी परिणाम उत्पन्न कर सकता है।
  - इसलिये उनकी भविष्य की संभावनाएँ गरीबी, अधूरी शिक्षा और खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों के दुष्चक्र को दूर करने के लिये हैं।
- बाल तस्करी: बाल तस्करी को बाल श्रम से जोड़ा जाता है और इसके परिणामस्वरूप हमेशा बाल शोषण होता है।
  - तस्करी किये हुए बच्चों को वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्यों के लिये मजबूर किया जाता है या अवैध रूप से गोद लिया जाता है; वे सस्ते या अवैतनिक श्रम प्रदान करते हैं, उन्हें गृह सेवक या भिखारी के रूप में काम करने के लिये मजबूर किया जाता है और उन्हें सशस्त्र समूहों में भर्ती किया जा सकता है।

आगे की राह

- पंचायत की भूमिका: चूंकि भारत में लगभग 80% बाल श्रम ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। पंचायत बाल श्रम को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में पंचायत को चाहिये:
  - बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
  - माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये प्रोत्साहित करें।
  - ऐसा माहौल बनाएँ जहाँ बच्चों को काम ना करना पड़े और वे इसके बजाय स्कूलों में दाखिला लें।
  - सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
  - बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के बारे में उद्योग के मालिकों को सूचित करें।
  - गाँव में बालवाड़ी और आंगनबाड़ियों को सक्रिय करें ताकि कामकाजी माताएँ छोटे बच्चों की ज़िम्मेदारी उनके बड़े भाई-बहनों पर न छोड़ें।
  - स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिये ग्राम शिक्षा समितियों (वीईसी) को प्रेरित करना।
- एकीकृत दृष्टिकोण: बाल श्रम और शोषण के अन्य रूपों को एकीकृत दृष्टिकोणों के माध्यम से रोका जा सकता है जो बाल संरक्षण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ गरीबी और असमानता को संबोधित करते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार करते हैं और बच्चों के अधिकारों के लिये सार्वजनिक समर्थन जुटाते हैं।
- बच्चों को सक्रिय हितधारक के रूप में समझना: बच्चों के पास बाल श्रम को रोकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति है।वे बाल संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकते हैं कि वे अपनी भागीदारी को कैसे समझते हैं और सरकार और अन्य हितधारकों से वे क्या अपेक्षा करते हैं।

निष्कर्ष

बच्चे स्कूलों में पढ़ने के लिये बने होते हैं, कार्यस्थलों में कार्य करने के लिये नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने के उनके अधिकार से वंचित करता है और गरीबी को पीढ़ीगत बनाती है। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है, जो स्कूल में उपस्थिति और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है।

नोट :